न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन)

COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department

बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 901/आ.नि.श.   दिनांक- 08 अगस्त'19

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी,
जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग,
पटना।

विषय :- **दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक का आयोजन करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उक्त विषयक दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति से सम्बन्धित बैठक एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अनुपालन के तहत पटना जिले के दानापुर अनुमण्डल में दिनांक-10/08/2019 को समीक्षा/जागरूकता बैठक तथा परिवाद की सुनवाई हेतु विभिन्न प्रखण्डों में प्रखण्ड स्तरीय दिव्यांगजनों की बैठक प्रखण्ड पदाधिकारियों एवं दिव्यांगजनों के साथ किये जाने की आवश्यकता है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्तर्गत धारा-72 में समाहित जिला स्तरीय कमिटी की तरह पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर दिव्यांगजनों के साथ समूह अपेक्षित है।

प्रत्येक पंचायत स्तर पर 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजन (ZC Section-2) 21 प्रकार के दिव्यांग में से कम से कम पाँच प्रकार के दिव्यांगजन के साथ एवं पंचायत स्तर के कर्मचारी जैसे-पंचायत सचिव, विकास मित्र, टोला सेवक, बी0आर0पी0, सेविका, ए0एन0एम0 कर्मचारी तथा पंचायत प्रतिनिधि जैसे - मुखिया, सरपंच, समाजसेवी, दिव्यांगजन कार्यकर्त्ता आदि के साथ "**पंचायत स्तर का दिव्यांगजन समूह**" बनना है।

उसी समूह में से प्रत्येक पंचायत का एक-एक दिव्यांगजन एवं पंचायत सचिव के साथ प्रखण्ड स्तर का दिव्यांगजन समूह बनना है, जिसमें प्रखण्ड स्तर के **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, बाल विकास संरक्षण पदाधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अस्पताल प्रभारी, प्रखण्ड जीविका प्रबंधक, विकास मित्र, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक एवं प्रखण्ड स्तर के कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों के साथ-साथ प्रत्येक पंचायत के दिव्यांगजन प्रतिनिधि होंगे** (इससे सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न किया गया है)। प्रखण्ड स्तर की दिव्यांगजन समूह की बैठक में अधोहस्ताक्षरी स्वयं भाग लेंगे।

अतएव प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत सभी पंचायतों में दिव्यांगजनों के समूह का गठन से सम्बन्धित विषय पर जिले के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के साथ दिनांक-10.08.2019 को बैठक हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय। इस सम्बन्ध में बक्सर एवं रोहतास जिले में चलन्त न्यायालय कार्यक्रम के दौरान उक्त विषय में समाहरणालय, बक्सर द्वारा निर्गत पत्रांक-17-346/सा0सु0 दिनांक-18.07.2019 एवं समाहरणालय, रोहतास द्वारा निर्गत पत्रांक-501 दि0-22.07.2019 की प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है।

उक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी की कार्यक्रम विवरणी निम्नांकित है :-

राज्य आयुक्त नि:शक्तता की कार्यक्रम विवरणी

क्र0 सं0	तिथि	आगमन/प्रस्थान/ समय सारणी	कार्यक्रम स्थल	कार्यक्रम	अभ्युक्ति
1.	10/08/2019 (शनिवार)	10:00 AM बजे से	नौबतपुर प्रखण्ड	प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक।	सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना
2.		12:00 PM बजे से	बिहटा प्रखण्ड		
3.		02:00 PM बजे से	मनेर प्रखण्ड		
4.		03:00 PM बजे से	दानापुर प्रखण्ड		

क0पृ0उ0............

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा नि:शक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के आलोक में बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 अधिसूचित किया जा चुका है।

अत: सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना से अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं। उक्त कार्यक्रम में सहयोग हेतु अधोहस्ताक्षरी के लिए नयाचार पदाधिकारी (प्रोटोकॉल ऑफिसर) नामित करने के साथ-साथ इनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन

08.08.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 901/आ.नि.बि. दिनांक- 08 अगस्त'19

प्रतिलिपि:-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर, बिहटा, मनेर एवं दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त बैठक में ससमय भाग लेने की कृपा की जाय।

08.08.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 901/आ.नि.बि. दिनांक- 08 अगस्त'19

प्रतिलिपि:-दानापुर के अनुमण्डल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। दानापुर अनुमण्डल पदाधिकारी से अनुरोध है कि उक्त बैठक में भाग लेने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को अपने स्तर निदेशित करने के साथ-साथ अधोहस्ताक्षरी हेतु सुरक्षा/स्कॉट की भी व्यवस्था करने की कृपा की जाय।

08.08.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 901/आ.नि.बि. दिनांक- 08 अगस्त'19

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), पटना एवं पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यक्रम विवरणी अनुसार बैठक में अपने स्तर से सुरक्षा/स्कॉट की व्यवस्था करने की कृपा की जाय।

08.08.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 901/आ.नि.बि. दिनांक- 08 अगस्त'19

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.08.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 901/आ.नि.बि. दिनांक- 08 अगस्त'19

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

08.08.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

समाहरणालय,बक्सर

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक 17-346 सा0सु0

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
बक्सर।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
जिला–बक्सर।

बक्सर, दिनांक 18-7 /2019

विषय :– प्रखण्डस्तरीय दिव्यांगजन समूह हेतु आयोजित बैठक में राज्य आयुक्त निःशक्तता के शामिल होन के संबंध में।

प्रसंग :– राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार पटना का पत्रांक 784/आ.नि.का. दिनांक 16.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सबंध में सूचित करना है कि प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत सभी पंचायतों में दिव्यांगजन समूह का गठन किया जाना है। समूह में 18 से 40 आयु वर्ग के कम से कम 05 सदस्य होने चाहिए। उक्त समूह में दिव्यांगता के 21 प्रकार (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता) में से कम से कम 05 अलग–अगल प्रकार के दिव्यांगों का प्रतिनिधत्व होना चाहिए। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि आपके प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत सभी पंचायतों में उक्त समूह का गठन कर दिनांक 23.07.2019 से 25.07.2019 तक प्रखण्ड स्तर पर समूह के सदस्यों की एक बैठक आयोजित करने की कृपा करेंगें तथा बैठक से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र (संलग्न) में सामाजिक सुरक्षा कोषांग बक्सर के ई–मेल आई0डी0 पर भेजने की कृपा करेंगे। साथ ही यह भी सूचित करना है कि प्रखण्ड स्तरीय आयोजित होने वाले दिव्यांगजन समूह की बैठक में संबंधित प्रखण्ड के सभी प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। विदित हो कि इस बैठक राज्य आयुक्त निःशक्तता स्वयं भी उपस्थित रहेंगे।

राज्य आयुक्त निःशकतता के निदेशानुसार सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी निम्न समय सारणी के अनुसार बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे :–

क्र0	प्रखण्ड	तिथि	समय	क्र0	प्रखण्ड	तिथि	समय
1	ब्रह्मपुर		9:00 से 9:40 तक	7	चौगाई	23.07.2019	14:35 से 15:00 तक
2	चक्की		10:00 से 10:30 तक	8	इटाढ़ी	24.07.2019	07:00 से 08:00 तक
3	सिमरी	23.07.2019	10:45 से 11:30 तक	9	बक्सर		08:30 से 09:30 तक
4	डुमराँव		11:45 से 12:30 तक	10	चौसा	25.07.2019	07:00 से 08:00 तक
5	नावानगर		13:00 से 13:40 तक	11	राजपुर		08:30 से 09:30 तक
6	केसठ		13:50 से 14:15 तक				

विश्वासभाजन

सहायक निदेशक 18/07/19
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
बक्सर

ज्ञापांक 17-346/सा0सु0, दिनांक 18 / 7 /2019

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, बक्सर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

सहायक निदेशक 18/07/19

विहित प्रपत्र

प्रखण्ड का नामः–

क्र0	पंचायत का नाम	समूह के सदस्य का नाम एवं मोबाईल नं0		पता	दिव्यांगता प्रकार
1		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
2		1			
		2			
		3			
		4			
		5			

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

(4)

समाहरणालय, रोहतास (सासाराम)
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक............... / सा0सु0को0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
रोहतास,सासाराम।

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, .
कोचस / दिनारा / विक्रमगंज / संझौली / नोखा / सासाराम।

सासाराम, दिनांक ....

विषय :— दिनांक 27.07.2019 को राज्य आयुक्त निःशक्तता बिहार, पटना का रोहतास जिला का भ्रमण कार्यक्रम के संबंध में।

प्रसंग :— अपर आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 796 / आ0नि0को0 दिनांक 17.07. 2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना का इस जिले में दिनांक 27.07.2019 को भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। उक्त निर्धारित कार्यक्रम में प्रत्येक पंचायत स्तर पर 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजन(21 प्रकार) में से कम से कम पाँच प्रकार के दिव्यांगजन के साथ एवं पंचायत स्तर के कर्मचारी जैसे–पंचायत सचिव, विकास मित्र, टोला सेवक, बी0आर0पी0, सेविका,ए0एन0एम0 कर्मचारी तथा पंचायत प्रतिनिधि जैसे मुखिया,सरपंच,समाजसेवी दिव्यांगजन कार्यकर्ता आदि के साथ पंचायत स्तर के बने हुए दिव्यांगजन समूह में से प्रत्येक पंचायत का एक–एक दिव्यांगजन एवं पंचायत सचिव के साथ प्रखण्ड स्तर के बने दिव्यांगजन समूह जिसमें से प्रखण्ड स्तर के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी –सह– नोडल पदाधिकारी दिव्यांगजन के अध्यक्षता में प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी,प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी,बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,अंचल पदाधिकारी, थानाध्यक्ष,प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड जीविका प्रबंधक,विकास मित्र,पंचायत सचिव एंव प्रखण्ड स्तर के कर्मचारियो तथा पदाधिकारियों के साथ बैठक निर्धारित करने को निदेश है। निर्धारित बैठक में राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार,पटना स्वयं भाग लेंगें।

उक्त निर्धारित कार्यक्रम के आलोक में राज्य निःशक्तता आयुक्त द्वारा दूरभाष पर दिये गए निदेशानुसार कोचस,दिनारा,विक्रमगंज, संझौली, नोखा,सासाराम में कार्यक्रम हेतु चिन्हित किया गया है। भ्रमण कार्यक्रम निम्नवत है:–

दिनांक	प्रखण्ड का नाम	समय	स्थल
27.07.2019	कोचस	8.30 बजे पूर्वा0 से 9.30 बजे पूर्वा	प्रखण्ड कार्यालय
27.07.2019	दिनारा	10.00 बजे पूर्वा0 से 11.00 बजे पूर्वा	प्रखण्ड कार्यालय
27.07.2019	विक्रमगंज	11.30 बजे पूर्वा से 12.30 बजे अप0	प्रखण्ड कार्यालय
27.07.2019	संझौली	1.00 बजे अप0 से 3.00 बजे अप0	प्रखण्ड कार्यालय
27.07.2019	नोखा	3.15 बजे अप0 से 3.45 बजे अप0	प्रखण्ड कार्यालय
27.07.2019	सासाराम	4.30 बजे अप0 से 5.00 बजे अप0	प्रखण्ड कार्यालय
27.07.2019	समाहरणालय	5.30 बजे अप0 से 6.00 बजे अप0	समाहरणालय
27.07.2019	6.00 बजे अप0 से 4.00 बजे पूर्वा0 तक परिषदन मे रात्रि विश्राम।		
28.07.2019	4.00 बजे पूर्वा0 में रोहतास परिषदन से भोजपूर(आरा) होते हुए पटना के लिए प्रस्थान		

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार बैठक की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
ह0 / –
जिला पदाधिकारी,
रोहतास सासाराम।

ज्ञापांक 501 / सा0सु0को0, दिनांक 22/7/19

प्रतिलिपि :— उप समाहर्ता नजारत, रोहतास,सासाराम को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि निर्धारित कार्यक्रम अनुसार राज्य निःशक्तता आयुक्त, बिहार,पटना के लिए परिषदन में दो कमरा आरक्षित करना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि :— अनुमण्डल पदाधिकारी,सासाराम / विक्रमगंज / डेहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— पुलिस अधिक्षक, रोहतास,सासाराम को सूचनार्थ प्रषित। अनुरोध है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार,पटना के लिए स्कॉट अंगरक्षक एवं सुरक्षा व्यवस्था की जाय।

प्रतिलिपि :— राज्य निःशक्तता आयुक्त, बिहार, पटना को अपर आयुक्त निःशक्तता, बिहार,पटना के पत्रांक–796 / आ0नि0को0 दिनांक–17.07.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

22/7/19

जिला पदाधिकारी,
रोहतास सासाराम।